

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 25/7 /2017

संख्या-आर0एफ0-3/एल-6-1-36/2016

/डा0 सुनीति कुमार, चिकित्सा

पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र बॉका को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक-6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि बाद में कोई अवधि अविनियमित सिद्ध होती है तो उसकी जिम्मेवारी चिकित्सक की होगी और चिकित्सक उक्त अवधि को विनियमित करने का आग्रह नहीं करेंगे ।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : आर0एफ0-3/एल-6-1-36/2016

406(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : -25/7/17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं0 ह0), बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डा0 सुनीति कुमार का अव्यवहृत उपाजित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपाजित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, बॉका/जिला कोषागार पदाधिकारी, बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, बॉका/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र बॉका/ डा0 सुनीति कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा-2,3,8,9 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव